

समाहरणालय मधेपुरा।

जिला आपूर्ति शाखा)

आदेश

सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-82/खाद्य दिनांक-07.01.2016 द्वारा माह-जनवरी,2016 के लिए किरासन तेल का मासिक आवंटन प्राप्त हुआ है। विभागीय पत्रांक-3550/खाद्य,दिनांक-18.06.2014 में दिए गए मार्ग-दर्शन के अनुरूप उपलब्ध कराये गये किरासन तेल की मात्रा के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के बीच नियमानुकूल वितरण करना है। वर्तमान आवंटनादेश में ग्रामीण क्षेत्र में बी० पी० एल०,अन्त्योदय एवं ए०पी०एल० परिवारों को 2.750 (दो लीटर सात सौ पचास मिलीलीटर) की दर से तथा शहरी क्षेत्र के बी०पी०एल०,अन्त्योदय एवं ए०पी०एल० परिवारों को प्रति परिवार 2.225 (दो लीटर दो सौ पच्चीस मिलीलीटर) लीटर किरासन तेल उपभोक्ताओं को पूर्व से प्राप्त लाल/पीला एवं हरा राशन कार्डधारियों को कूपन के आधार पर आपूर्ति की जानी है। इसके अतिरिक्त एकरूपता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ठेला भेण्डर को 750.00 (सात सौ पचास) लीटर किरासन तेल की आपूर्ति किया जाना है।

वर्तमान में थोक किरासन तेल विक्रेताओं के पास माह-दिसम्बर,2016 के लिए अतिरिक्त आवंटित 24000 लीटर सहित उपलब्ध मात्रा कुल 41167.500 लीटर के विरुद्ध माह-जनवरी,2016 के मासिक आवंटन में विभाग द्वारा कुल 65167.000 लीटर समायोजित कर दिये जाने के कारण किरासन तेल की वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध उपलब्ध मात्रा कम रहने एवं सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुरूप किरासन तेल के उठाव हेतु तत्काल सभी प्रखंड/नगर निकाय के ठेला भेण्डरों को आपूर्ति की जानेवाली मात्रा 750 लीटर के स्थान पर उपलब्ध मात्रा में से 600 लीटर उपावंटित किया जा सकता है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराये जाने पर अवशेष मात्रा उपावंटित किया जाएगा।

अतः सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-82/खाद्य दिनांक-07.01.2016 द्वारा माह जनवरी,2015 के लिए मधेपुरा जिला हेतु प्राप्त आवंटन को निम्नलिखित विवरणी के अनुरूप प्रखण्डवार एवं अनुभाजन क्षेत्रवार/थोक विक्रेतावार उपावंटित किया जाता है :-

| क्र० | प्रखण्ड अनुभाजन क्षेत्र का नाम | 2001 के आधार पर जनसंख्या | पूर्व से प्राप्त लाल/पीला एवं हरा राशन कार्ड के आधार पर प्रखंडों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार माह-दिसम्बर,15 में वितरित किरासन तेल की मात्रा के विरुद्ध सन्दिहित परि० की सं० | उपावंटित किरासन तेल की मात्रा (ली० में) ज०वि०प्र०वि/हॉकर | सम्बद्ध थोक किरासन तेल विक्रेता का नाम | थोक विक्रेतावार उपावंटित किरासन तेल की मात्रा (ली०में) |
|------|--------------------------------|--------------------------|--|---|---|--|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01 | मधेपुरा प्रखण्ड | 149589 | 48072 | ज०वि०प्र०-132198.000 हॉकर (6X600) 3600.000 कुल-135798.000 | 1.मे० मोतीलाल रामस्वरूप,मुरलीगंज 2.मे० चामुण्ड ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज | 127541.000 8256.000 कुल- 135798.000 |
| 02 | नगर परिषद, मधेपुरा | 45031 | 10885 | ज०वि०प्र०- 24491.250 हॉकर (25X600) 15000.00 राशनी संस्था 1518.000 कुल- 41009.250 | 1.मे० चामुण्ड ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज | कुल- 41009.250 |
| 03 | सिंहेश्वर प्रखण्ड | 102086 | 33428 | ज०वि०प्र०- 91927.000 हॉकर (6X600) 3600.000 पुलिस अधीक्षक- 850.000 कुल-96377.000. | 1.मे० शिव शक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर | कुल- 96377.000 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------|--------|---|---|--|
| 04 | शंकरपुर प्रखण्ड | 82519 | 28632 | ज0वि0प्र0- 78735.500 | 1.मे0 शिव शक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर 2.मे0 जय बजरंग एजेन्सी कुमारखण्ड | 64900.000 13835.500 कुल- 78735.500 |
| 05 | गम्हरिया प्रखण्ड | 65125 | 19973 | ज0वि0प्र0- 54912.000 | 1.मे0 शिव शक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर | कुल- 54912.000 |
| 06 | धैलाढ़ प्रखण्ड | 73129 | 22298 | ज0वि0प्र0-61319.500 हॉकर (6X600) 3600.000 कुल- 64919.500 | 1.मे0 चामुण्ड ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज | कुल- 64919.500 |
| 07 | मुरलीगंज प्रखण्ड | 141212 | 43555 | ज0वि0प्र0-119776.250 सरकारी संस्था- 50.000 कुल-119826.250 | 1.मे0 मोतीलाल रामस्वरूप,मुरलीगंज 2 मे0 जय बजरंग एजेन्सी, कुमारखंड 3.ने0 श्यामा स्टोर बिहारीगंज | 86026.250 31400.000 2400.000 कुल-119826.250 |
| 08 | मुरलीगंज नगर पं0 | 222936 | 6673 | ज0वि0 प्र0-15014.250 हॉकर (20X600) 12000.000 कुल- 27014.250 | 1.मे0 मोतीलाल रामस्वरूप,मुरलीगंज | कुल-27014.250 |
| 09 | कुमारखण्ड प्रखण्ड | 187643 | 52282 | ज0वि0प्र0-143775.500 हॉकर (1X600) 600.000 कुल-144325.500 | 1.मे0 जय बजरंग एजेन्सी कुमारखण्ड। | कुल:-144375.500 |
| 10 | उदाकिशुनगंज प्रखंड | 136937 | 38146 | ज0वि0प्र0-104901.500 हॉकर (16X600) 9600.00 सरकारी संस्था- 150.000 कुल-114651.500 | 1.मे0 चामुण्डे ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज | कुल-114651.500 |
| 11 | ग्वालपाड़ा | 95295 | 25704 | ज0वि0प्र0-- 67686.000 हॉकर (4X600) 2400.000 कुल-70086.000 | 1.मे0 श्यामा स्टोर, बिहारीगंज | कुल- 70086.000 |
| 12 | बिहारीगंज | 101655 | 29795 | ज0वि0प्र0- 81936.250 हॉकर (29X600) 17400.00 कुल- 99336.250 | 1.मे0 श्यामा स्टोर, बिहारीगंज | कुल-99336.250 |
| 13 | आलमनगर | 129226 | 38483 | ज0वि0प्र0-105828.250 हॉकर (7X600) 4200.000 कुल-110028.250 | 1.मे0 शंभूनाथ चौधरी आलमनगर | कुल-110028.250 |
| 14 | चौसा प्रखंड | 116471 | 32037 | ज0वि0प्र0- 98101.750 हॉकर (2X600) 1200.000 कुल- 89301.750 | 1.मे0 शंभूनाथ चौधरी आलमनगर | कुल- 89301.750 |
| 15 | पुरैनी प्रखंड | 77792 | 21091 | ज0वि0प्र0- 58000.250 हॉकर (2X600) 1200.000 कुल-59200.250 | 1.मे0 श्यामा स्टोर, बिहारीगंज 2.मे0 शंभूनाथ चौधरी आलमनगर | 38830.250 20370.000 कुल- 59200.250 |
| कुल योग:- | | 1526646 | 451054 | 1305571.250 | | 1305571.250 |

2. इस प्रकार प्रखंडवार/नगर निकायवार जिले में वितरण हेतु माह जनवरी, 2015 के लिए विभाग से आवंटित मात्रा 106टैकर (106X12000)=1272000.000लीटर + समायोजित माह दिसम्बर, 2015 तक वितरण के पश्चात् थोक किरासन तेल विक्रेता

के भंडार में उपलब्ध अवशेष मात्रा 41167.000 लीटर को मिलाकर (1272000.00+41167.000)=1313167.000 लीटर किरासन तेल को प्रखंडवार/ अनुभाजन क्षेत्रवार उपवांटन किया गया है।

3. विभागीय निदेश के अनुपालन में ग्रामीण एवं सुदूर धानों में रोशनी के लिए उपवांटित किरासन तेल कुल 850 ली० किरासन तेल को पुलिस अधीक्षक मधेपुरा के आदेश से वितरण किया जाय। पुलिस अधीक्षक मधेपुरा से अनुरोध है कि वे संबंधित थोक किरासन तेल विक्रेता को उचित मूल्य भुगतान कर किरासन तेल प्राप्त कर नियमानुकूल उपयोग सुनिश्चित करेंगे।

4. जिला सुरक्षित में आवंटित 4929 लीटर किरासन तेल को निम्न विवरणी के अनुरूप संस्थानवार उपवांटित किया जाता है:-

1. अधीक्षक मंडल कारा, मधेपुरा -250 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
2. अल्प संख्यक छात्रावास, मधेपुरा -194 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
3. राजकीय कल्याण छात्रावास, टी०पी० कॉलेज, मधेपुरा-174 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
4. आवा०अनु०जाति वि०भोकराहा(स्थानान्तरित, मुरलीगंज)-50 लीटर मेसर्स मोतीलाल रामस्वरूप मुरलीगंज।
5. व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा -900 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
5. उप कारा उदाकिशुनगंज -150 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।

योग:- 1518 लीटर

उपर्युक्त कंडिका 04 में निर्धारित कोटे के अनुसार किरासन तेल उठाव संबंधित संस्थान के प्रधान के द्वारा संबंधित थोक विक्रेता को उचित मूल्य भुगतान करने के उपरान्त किया जाएगा एवं सभी संस्थान के प्रधान वितरण के पश्चात् अगले माह की 5वी० तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला आपूर्ति शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अल्लसंख्यक छात्रावास/राजकीय कल्याण छात्रावास मधेपुरा हेतु आवंटित किरासन तेल का मासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर परिषद मधेपुरा के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा, मंडल कारा मधेपुरा को उपवांटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा द्वारा, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा हेतु आवंटित तेल किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रभारी न्यायाधीश, मधेपुरा द्वारा, सुदूरवर्ती धानों में रोशनी की व्यवस्था हेतु उपवांटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा एवं आवासीय विद्यालय, मुरलीगंज हेतु आवंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मुरलीगंज द्वारा, उप कारा, उदाकिशुनगंज को उपवांटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र उप कारा, अधीक्षक, उदाकिशुनगंज, द्वारा प्रत्येक माह समर्पित किया जायेगा।

5. सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-82/खाद्य दिनांक-07.01.2016 से प्राप्त निदेश के ही अनुरूप हॉकरों के लिए आवंटित किरासन तेल का वितरण जिले में लगने वाले हॉट/बाजार में स्थानीय प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक एवं निगरानी समिति की देख रेख में अनुमोदित सूची / संस्था के अनुसार अनुमोदित वितरण स्थल पर ही किया जायेगा एवं तत्संबंधी वितरण पंजी का विधिवत संघारण किया जायेगा। अद्योहस्ताक्षरी के आदेश के बिना वितरण स्थल में फेरबदल नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी अनियमितता की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की होगी। सभी संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वितरण के पश्चात् अगले माह की 5वी० तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र-IX अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमोदित कराकर जिला आपूर्ति शाखा, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज को निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक माह की 5वी० तिथि तक विगत माह से संबंधित किरासन तेल वितरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अगले माह के उपवांटन हेतु प्रपत्र IX तैयार कर उपलब्ध नहीं कराने वाले प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्रपत्र "क" में तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक-1871, दिनांक-13.07.2005 के अनुसार किरासन तेल की प्रत्येक टैंक लौरी को थोक विक्रेता के यहाँ पहुँचने पर थोक किरासन तेल विक्रेताओं को संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना देनी है। सूचना के पश्चात् प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा टैंक लौरी का भौतिक सत्यापन किया जाना है और उसके बाद ही टैंक लौरी को थोक किरासन तेल विक्रेता के टैंक में ऑफ्लोड किया जाना है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र थोक किरासन तेल विक्रेताओं के भंडार पंजी में दर्ज करना है।

सरकार के उक्त आदेश का अनुपालन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है। और यदि किया जा भी रहा है तो मात्र औपचारिकता की जा रही है। अतः सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उन्हें ज्योंही टैंक लौरी आने की सूचना मिलती है, तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मोबाइल संदेश के द्वारा इसकी सूचना संबंधित अनुमंडल

